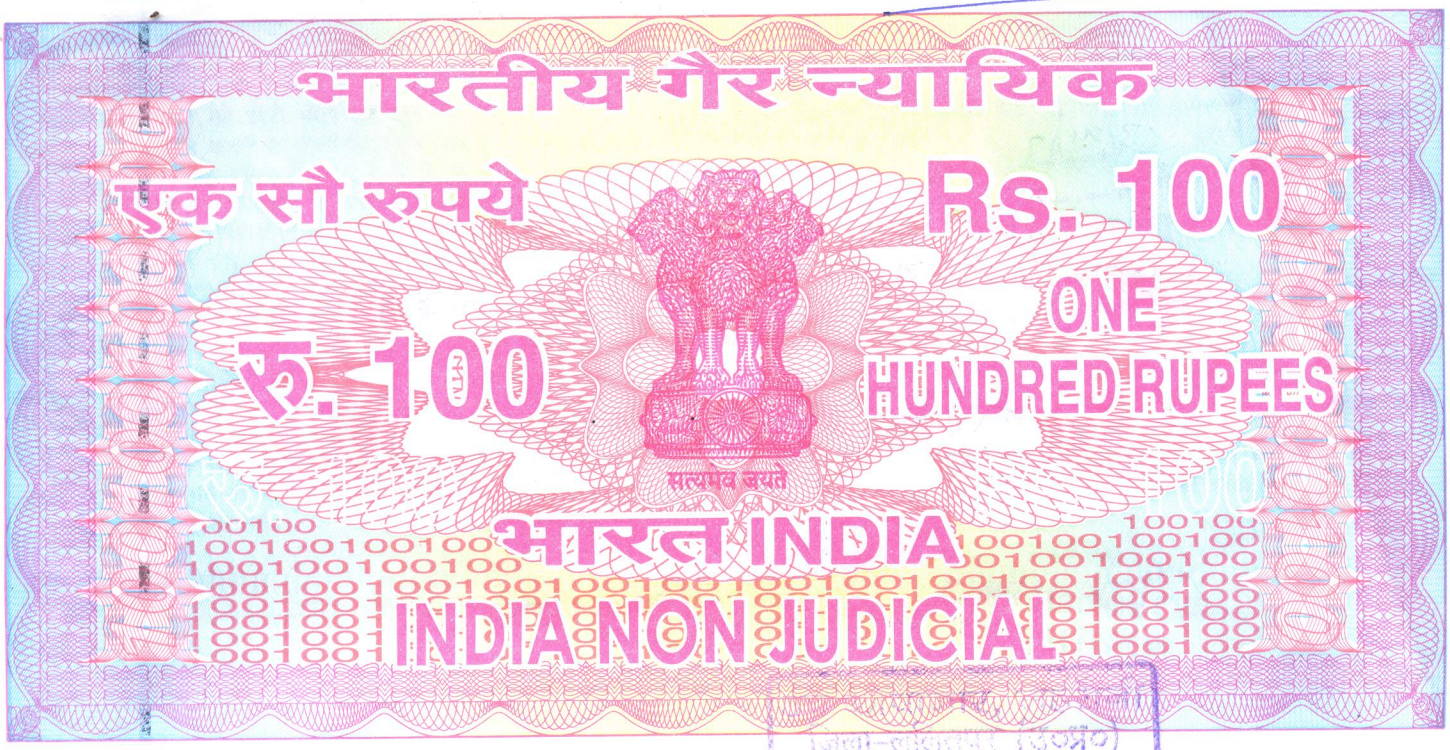

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये **Rs. 100**

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH अनुबन्ध पत्र **DA 522753**

मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सदस्य सचिव–जिला स्वास्थ्य समिति, जनपद ललितपुर। प्रथम पक्ष

श्री जयकुमार राठौर,प्रोपराईटर मे0न्यू राठौर ट्रेवर्ल्स एण्ड प्लेसमेण्ट ऐजेन्सी, घुसयाना, ललितपुर जनपद ललितपुर। द्वितीय पक्ष

यह अनुबन्ध मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सदस्य सचिव–जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा **"राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यकम"** के संचालन के सम्बन्ध में आज दिनांक 01.04.2016 को जनपद ललितपुर में सम्पादित किया गया था। इस अनुबन्ध की अवधि दिनांक 01.04..2016 से 31, मार्च, 2017 तक पूर्व अनुबंधो की शर्तो पर बढाई गई थी जो पुनः 01.04.2017 से ई–निविदा होने की तिथि तक पूर्व शर्तो के अनुरूप बढाई जाती है –

1. द्वितीय पक्ष जिला ललितपुर के सभी 6 विकास खण्डों में **"राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यकम"** हेतु वाहनों को संचालित करने के संबंध में निम्न शर्तो को पूरा करेगा :–
2. सेवाप्रदाता को प्रथम पक्ष द्वारा ब्लाक में लगाये गये वाहन हेतु अधिकतम 25 कार्यदिवस प्रतिमाह की दर से कुल अधिकतम रू0 30000/– (तीस हजार रूपये मात्र) की धनराशि देय होगी।
3. वाहन में निम्नलिखित सुविधा अनिवार्यतः होनी चाहिए :–
   - वाहन टैक्सी परमिट होना अनिवार्य है।
   - वाहन पंजीकृत होना चाहिए।
   - वाहन अनुबन्ध की तिथि से दो वर्ष के पूर्व तक का ही पंजीवद्ध होना चाहिए, इससे अधिक पुराना न हो।
   - वाहन में प्राथमिक उपचार किट हो।
   - वाहन में पेट्रोल/डीजल द्वितीय पक्ष द्वारा भरवाया जायेगा।
   - दुर्घटना होने पर वाहन में किसी प्रकार की क्षति एवं उसकी पूर्ति की समस्त जिम्मेदारी बीमा कम्पनी व द्वितीय पक्षकार की काम्प्रेहेन्सिव इन्श्योरेन्स के तहत मिलेगी।
4. वाहन का पूर्ण बीमा, पंजीयन एवं फिटनेस प्रमाण पत्र आदि होना अनिवार्य है।
5. वाहन के संचालन एवं रख–रखाव संबंधी समस्त व्यय तथा पार्किंग शुल्क, टोल टैक्स आदि द्वितीय पक्ष द्वारा वहन किया जायेगा।
6. वाहन को 24 घंटे चालू हालत में रखने एवं वाहन की साफ–सफाई व आवश्यक रखरखाव द्वितीय पक्ष द्वारा किया जायेगा। नियमित जांच हेतु वाहन को वर्कशॉप भेजने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को अन्य वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना होगा। द्वितीय पक्ष द्वारा अनुबन्ध की शर्तो के अनुरूप सेवा प्रदान नहीं करने की स्थिति में प्रथम पक्ष को रूपये 1500.00 प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड अधिरोपित करने का अधिकार होगा।
7. द्वितीय पक्ष धरोहर राशि के रूप में जिला स्वास्थ्य समिति के नाम रू0 15000.00 की धरोहर राशि प्रतिवाहन जमा करेगा, जो किसी भी पक्ष के द्वारा 15 दिन के नोटिस देकर अनुबन्ध खत्म करने पर या अनुबन्ध अवधि पूरी होने पर प्रथम पक्ष को वापस करनी होगी।
8. द्वितीय पक्ष द्वारा वाहन पर लगे वाहन चालक का नाम, पिता का नाम, पता तथा मोबाइल नम्बर इस कार्यालय के प्रस्तुत करेंगे।
9. वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी एवं वाहन चालक के पास बैद्य लायसेन्स होना अनिवार्य है। द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किये गये वाहन चालक के लिये नियोक्ता द्वितीय पक्ष ही होगा, प्रथम पक्ष पर इसका कोई विधिक दायित्व नहीं होगा। द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त नियंत्रणकर्ता अधिकारी के निर्देशों का पालन करे। द्वितीय पक्ष का यह भी दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि वाहन चालक कभी भी नशे की हालत में वाहन का संचालन नहीं करे। ऐसा पाये जाने पर जमानत की राशि जब्त कर अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष का होगा।
10. ऐजेन्सी को आवंटित इकाई पर प्रातः 09:00 बजे से रात्रि 06:00 बजे तक वाहन उपलब्ध करायेंगे। द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को भुगतान हेतु देयक निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण विवरण एवं लागबुक के साथ आगामी माह की 5 तारीख तक प्रस्तुत करने पर प्रथम पक्षकार द्वारा 10 दिवस के अंदर अर्थात 15 तारीख तक भुगतान करना सुनिश्चित किया जायेगा।

क्रमांक पेज नं0......2 पर

मे0–न्यू राठौर ट्रेवलर्स एण्ड प्लेसमेन्ट एजेन्सी
जयकुमार
प्रोप्राइटर

अपर मुख्य चिकित्साधिकारी/नोडल
एन0 एच0 एम0
ललितपुर

Chief Medical Officer
LALITPUR

11. वाहन की छोटी मोटी टूट फूट को तत्काल सुधारने की व्यवस्था द्वितीय पक्ष को करनी होगी। बड़ी टूट फूट भी 24 घण्टे के सुधार कराने या बैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराने का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा।
12. मेडीकल टीम को वाहन से किसी प्रकार का नुकसान होने की स्थिति में सम्पूर्ण वैधानिक दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। प्रथम पक्ष इसके लिये किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा।
13. द्वितीय पक्ष द्वारा दी जा रही सेवाओं क समय–समय पर निरीक्षण करने/जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को होगा।
14. अनुबन्ध के सम्बन्ध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा सम्बन्धित जनपद के न्यायालय में होगा तथा उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।
15. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत्त सेवा संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष से इस संबंध में लिखित स्पष्टीकरण मांग सकता है एवं स्पष्टीकरण का जबाव संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को पन्द्रह दिन की सूचना देकर अनुबन्ध समाप्त करने का अधिकार होगा तथा धरोहर राशि भी जब्त की जा सकती है।
16. सर्विस टैक्स नं0 व गाडियों का टैक्सी परमिट नं0 अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने पर ही भुगतान किया जायेगा।
17. जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक दिनांक 26.04.2017 में लिये गये निर्णय में योजनाओं को सुचारू रूप से अनवरत चलाये जाने हेतु गत वर्ष की निविदाओ को जब तक नई निविदा नही डाली जाती तक पूर्व निविदा अनुबंध शर्तो के अधीन कार्य करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

स्थान :– ललितपुर
दिनांकः– ....

Chief Medical Officer
LALITPUR

अपर मुख्य चिकित्साधिकारी/नोडल
एन0 एच0 एम0
ललितपुर

हस्ताक्षर..........................
मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सदस्य सचिव,
जिला स्वास्थ्य समिति, जनपद ललितपुर।

हस्ताक्षर.......... मे0–न्यू राठौर ट्रेवलर्स एण्ड प्लेसमेन्ट ऐजेन्सी
श्री जयकुमार राठौर प्रोपराईटर मे0न्यू राठौर ट्रेवर्ल्स एण्ड प्लेसमेण्ट ऐजेन्सी, घुसयाना, ललितपुर जनपद ललितपुर।
जयकुमार
प्रोप्राइटर

गवाह
1. ....
2 ....

R 03 SL

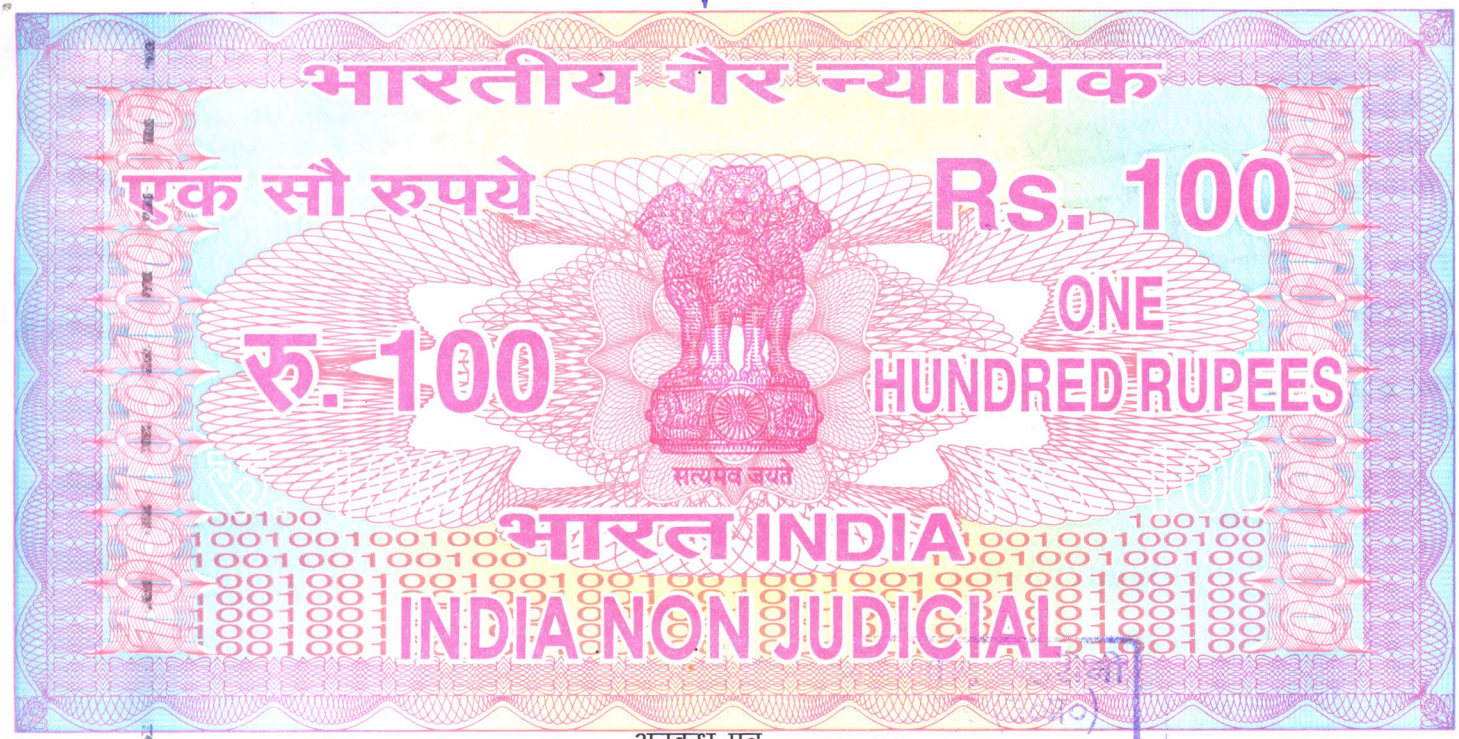

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH DA 522754

अनुबन्ध पत्र

मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सदस्य सचिव–जिला स्वास्थ्य समिति, जनपद ललितपुर। प्रथम पक्ष

श्री शिवेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र श्री गोविन्द सिंह निवासी ग्राम व पोस्ट नैनवारा महरौनी जनपद ललितपुर। द्वितीय पक्ष

यह अनुबन्ध मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सदस्य सचिव–जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा " राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यकम" के संचालन के सम्बन्ध में आज दिनांक 05.005.2016 को जनपद ललितपुर में सम्पादित किया गया था। इस अनुबंध की अवधि दिनांक 01.04..2016 से 31, मार्च, 2017 तक पूर्व अनुबंधो की शर्तो पर बढाई गई थी जो पुनः 01.04.2017 से ई–निविदा होने की तिथि तक पूर्व शर्तो के अनुरूप बढाई जाती है –

1. द्वितीय पक्ष जिला ललितपुर के महरौनी विकास खण्ड में 01 वाहन में " राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यकम" हेतु वाहनों को संचालित करने के संबंध में निम्न शर्तो को पूरा करेगा :–
2. सेवाप्रदाता को प्रथम पक्ष द्वारा ब्लाक में लगाये गये वाहन हेतु अधिकतम 25 कार्यदिवस प्रतिमाह की दर से कुल अधिकतम रू0 30000 / – (तीस हजार रूपये मात्र) की धनराशि देय होगी।
3. वाहन में निम्नलिखित सुविधा अनिवार्यतः होनी चाहिए :–
   - वाहन टैक्सी परमिट होना अनिवार्य है।
   - वाहन पंजीकृत होना चाहिए।
   - वाहन अनुबन्ध की तिथि से दो वर्ष के पूर्व तक का ही पंजीवद्ध होना चाहिए, इससे अधिक पुराना न हो।
   - वाहन में प्राथमिक उपचार किट हो।
   - वाहन में पेट्रोल / डीजल द्वितीय पक्ष द्वारा भरवाया जायेगा।
   - दुर्घटना होने पर वाहन में किसी प्रकार की क्षति एवं उसकी पूर्ति की समस्त जिम्मेदारी बीमा कम्पनी व द्वितीय पक्षकार की काम्प्रेहेन्सिव इन्श्योरेन्स के तहत मिलेगी।
4. वाहन का पूर्ण बीमा, पंजीयन एवं फिटनेस प्रमाण पत्र आदि होना अनिवार्य है।
5. वाहन के संचालन एवं रख–रखाव संबंधी समस्त व्यय तथा पार्किग शुल्क, टोल टैक्स आदि द्वितीय पक्ष द्वारा वहन किया जायेगा।
6. वाहन को 24 घंटे चालू हालत में रखने एवं वाहन की साफ–सफाई व आवश्यक रखरखाव द्वितीय पक्ष द्वारा किया जायेगा। नियमित जांच हेतु वाहन को वर्कशॉप भेजने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को अन्य वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना होगा। द्वितीय पक्ष द्वारा अनुबन्ध की शर्तो के अनुरूप सेवा प्रदान नहीं करने की स्थिति में प्रथम पक्ष को रूपये 1500.00 प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड अधिरोपित करने का अधिकार होगा।
7. द्वितीय पक्ष धरोहर राशि के रूप में जिला स्वास्थ्य समिति के नाम रू0 15000.00 की धरोहर राशि प्रतिवाहन जमा करेगा, जो किसी भी पक्ष के द्वारा 15 दिन के नोटिस देकर अनुबन्ध खत्म करने पर या अनुबन्ध अवधि पूरी होने पर प्रथम पक्ष को वापस करनी होगी।
8. द्वितीय पक्ष द्वारा वाहन पर लगे वाहन चालक का नाम, पिता का नाम, पता तथा मोबाइल नम्बर इस कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे।
9. वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी एवं वाहन चालक के पास बैद्य लायसेन्स होना अनिवार्य है। द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किये गये वाहन चालक के लिये नियोक्ता द्वितीय पक्ष ही होगा, प्रथम पक्ष पर इसका कोई विधिक दायित्व नहीं होगा। द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त नियंत्रणकर्ता अधिकारी के निर्देशों का पालन करे। द्वितीय पक्ष का यह भी दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि वाहन चालक कभी भी नशे की हालत में वाहन का संचालन नहीं करे। ऐसा पाये जाने पर जमानत की राशि जब्त कर अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष का होगा।
10. ऐजेन्सी को आवंटित इकाई पर प्रातः 09:00 बजे से रात्रि 06:00 बजे तक वाहन उपलब्ध करायेंगे। द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को भुगतान हेतु देयक निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण विवरण एवं लागबुक के साथ आगामी माह की 5 तारीख तक प्रस्तुत करने पर प्रथम पक्षकार द्वारा 10 दिवस के अंदर अर्थात 15 तारीख तक भुगतान करना सुनिश्चित किया जायेगा।

क्रमांक पेज नं0......2 पर

S.P. Singh

अपर मुख्य चिकित्साधिकारी / नोडल
एन0 एच0 एम0
ललितपुर

शिवेन्द्र प्रताप सिंह

Chief Medical Officer
LALITPUR

11. वाहन की छोटी मोटी टूट फूट को तत्काल सुधारने की व्यवस्था द्वितीय पक्ष को करनी होगी। बड़ी टूट फूट भी 24 घण्टे के सुधार कराने या बैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराने का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा।
12. मेडीकल टीम को वाहन से किसी प्रकार का नुकसान होने की स्थिति में सम्पूर्ण वैधानिक दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। प्रथम पक्ष इसके लिये किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा।
13. द्वितीय पक्ष द्वारा दी जा रही सेवाओं क समय–समय पर निरीक्षण करने/जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को होगा।
14. अनुबन्ध के सम्बन्ध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा सम्बन्धित जनपद के न्यायालय में होगा तथा उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।
15. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत्त सेवा संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष से इस संबंध में लिखित स्पष्टीकरण मांग सकता है एवं स्पष्टीकरण का जबाव संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को पन्द्रह दिन की सूचना देकर अनुबन्ध समाप्त करने का अधिकार होगा तथा धरोहर राशि भी जब्त की जा सकती है।
16. सर्विस टैक्स नं0 व गाडियों का टैक्सी परमिट नं0 अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने पर ही भुगतान किया जायेगा।
17. जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक दिनांक 26.04.2017 में लिये गये निर्णय में योजनाओं को सुचारू रूप से अनवरत चलाये जाने हेतु गत वर्ष की निविदाओ को जब तक नई निविदा नही डाली जाती तक पूर्व निविदा अनुबंध शर्तो के अधीन कार्य करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

स्थान :– ललितपुर
दिनांक:– ....

Chief Medical Officer
हस्ताक्षर.......................
LALITPUR
मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सदस्य सचिव,
जिला स्वास्थ्य समिति, जनपद ललितपुर।

अपर मुख्य चिकित्साधिकारी/नोडल
एन0 एच0 एम0
ललितपुर

शिवेन्द्र प्रताप सिंह

हस्ताक्षर S.P. Singh
श्री शिवेन्द्र प्रताप सिहं पुत्र श्री गोविन्द सिहं निवासी ग्राम व पोस्ट नैनवारा महरौनी जनपद ललितपुर।
मो.- 9450032826

B Pandey

गवाह
1. .... विपिन पाण्डेय 9450032423
गोविन्द नगर ललितपुर

2 ....

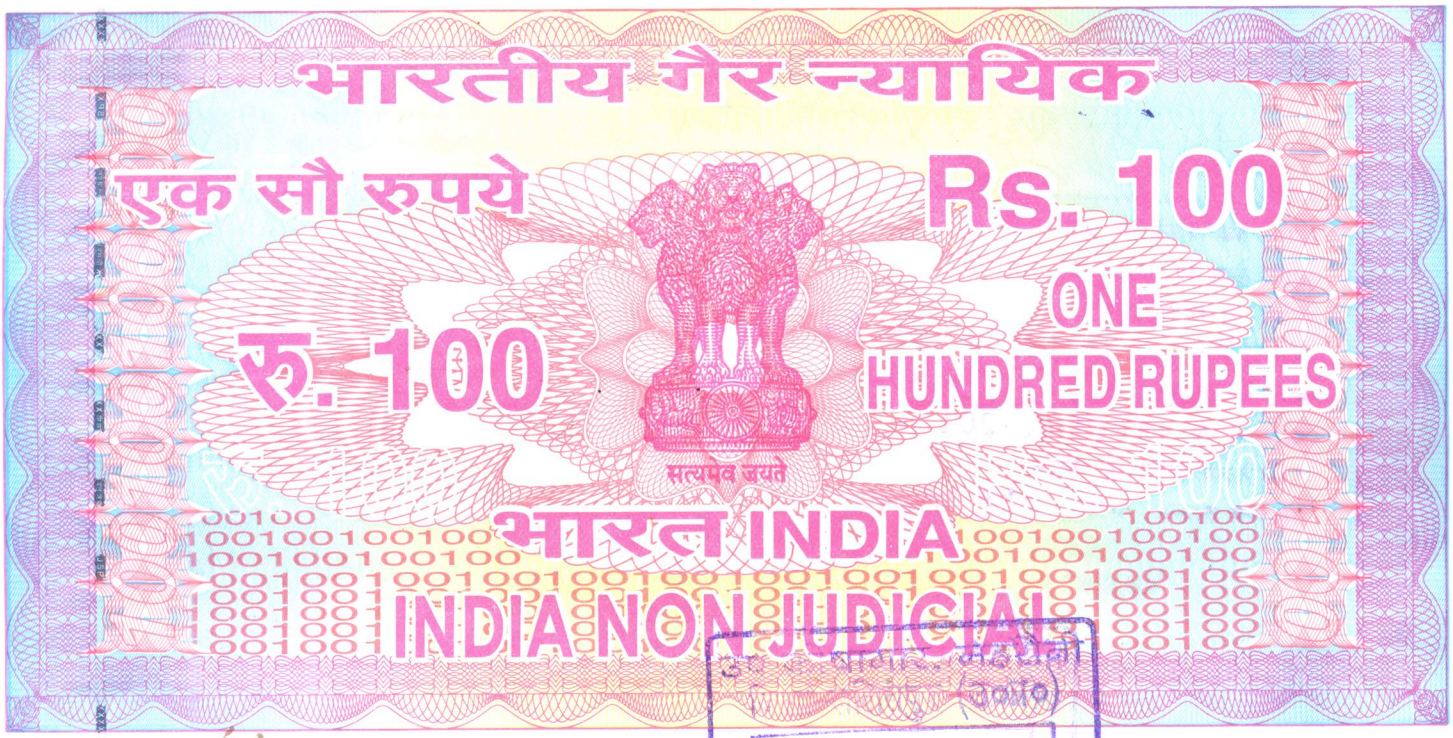

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

अनुबन्ध पत्र

DA 521969

मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सदस्य सचिव–जिला स्वास्थ्य समिति, जनपद ललितपुर। प्रथम पक्ष

श्री महेश प्रसाद सुढेले पुत्र स्व. श्री बाबूलाल निवासी ग्राम सतवॉसा तहसील महरौनी जनपद ललितपुर। द्वितीय पक्ष

यह अनुबन्ध मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सदस्य सचिव–जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा " राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यकम" के संचालन के सम्बन्ध में आज दिनांक 05.005.2016 को जनपद ललितपुर में सम्पादित किया गया था। इस अनुबन्ध की अवधि दिनांक 01.04..2016 से 31, मार्च, 2017 तक पूर्व अनुबंधो की शर्तो पर बढाई गई. थी जो पुनः 01.04.2017 से ई–निविदा होने की तिथि तक पूर्व शर्तो के अनुरूप बढाई जाती है –

1. द्वितीय पक्ष जिला ललितपुर के मडावरा विकास खण्ड में 01 वाहन में " राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यकम" हेतु वाहनों को संचालित करने के संबंध में निम्न शर्तो को पूरा करेगा :–
2. सेवाप्रदाता को प्रथम पक्ष द्वारा ब्लाक में लगाये गये वाहन हेतु अधिकतम 25 कार्यदिवस प्रतिमाह की दर से कुल अधिकतम रू0 30000/– (तीस हजार रूपये मात्र) की धनराशि देय होगी।
3. वाहन में निम्नलिखित सुविधा अनिवार्यतः होनी चाहिए :–
   - वाहन टैक्सी परमिट होना अनिवार्य है।
   - वाहन पंजीकृत होना चाहिए।
   - वाहन अनुबन्ध की तिथि से दो वर्ष के पूर्व तक का ही पंजीवद्ध होना चाहिए, इससे अधिक पुराना न हो।
   - वाहन में प्राथमिक उपचार किट हो।
   - वाहन में पेट्रोल/डीजल द्वितीय पक्ष द्वारा भरवाया जायेगा।
   - दुर्घटना होने पर वाहन में किसी प्रकार की क्षति एवं उसकी पूर्ति की समस्त जिम्मेदारी बीमा कम्पनी व द्वितीय पक्षकार की काम्प्रेहेन्सिव इन्श्योरेन्स के तहत मिलेगी।
4. वाहन का पूर्ण बीमा, पंजीयन एवं फिटनेस प्रमाण पत्र आदि होना अनिवार्य है।
5. वाहन के संचालन एवं रख–रखाव संबंधी समस्त व्यय तथा पार्किंग शुल्क, टोल टैक्स आदि द्वितीय पक्ष द्वारा वहन किया जायेगा।
6. वाहन को 24 घंटे चालू हालत में रखने एवं वाहन की साफ–सफाई व आवश्यक रखरखाव द्वितीय पक्ष द्वारा किया जायेगा। नियमित जांच हेतु वाहन को वर्कशॉप भेजने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को अन्य वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना होगा। द्वितीय पक्ष द्वारा अनुबन्ध की शर्तो के अनुरूप सेवा प्रदान नहीं करने की स्थिति में प्रथम पक्ष को रूपये 1500.00 प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड अधिरोपित करने का अधिकार होगा।
7. द्वितीय पक्ष धरोहर राशि के रूप में जिला स्वास्थ्य समिति के नाम रू0 15000.00 की धरोहर राशि प्रतिवाहन जमा करेगा, जो किसी भी पक्ष के द्वारा 15 दिन के नोटिस देकर अनुबन्ध खत्म करने पर या अनुबन्ध अवधि पूरी होने पर प्रथम पक्ष को वापस करनी होगी।
8. द्वितीय पक्ष द्वारा वाहन पर लगे वाहन चालक का नाम, पिता का नाम, पता तथा मोबाइल नम्बर इस कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे।
9. वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी एवं वाहन चालक के पास बैद्य लायसेन्स होना अनिवार्य है। द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किये गये वाहन चालक के लिये नियोक्ता द्वितीय पक्ष ही होगा, प्रथम पक्ष पर इसका कोई विधिक दायित्व नहीं होगा। द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त नियंत्रणकर्ता अधिकारी के निर्देशों का पालन करे। द्वितीय पक्ष का यह भी दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि वाहन चालक कभी भी नशे की हालत में वाहन का संचालन नहीं करे। ऐसा पाये जाने पर जमानत की राशि जब्त कर अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष का होगा।
10. ऐजेन्सी को आवंटित इकाई पर प्रातः 09:00 बजे से रात्रि 06:00 बजे तक वाहन उपलब्ध करायेंगे। द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को भुगतान हेतु देयक निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण विवरण एवं लागबुक के साथ आगामी माह की 5 तारीख तक प्रस्तुत करने पर प्रथम पक्षकार द्वारा 10 दिवस के अंदर अर्थात 15 तारीख तक भुगतान करना सुनिश्चित किया जायेगा।

क्रमांक पेज नं0......2 पर

अपर मुख्य चिकित्साधिकारी/नोडल
एन0 एच0 एम0
ललितपुर

Chief Medical Officer
LALITPUR

11. वाहन की छोटी मोटी टूट फूट को तत्काल सुधारने की व्यवस्था द्वितीय पक्ष को करनी होगी। बड़ी टूट फूट भी 24 घण्टे के सुधार कराने या बैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराने का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा।
12. मेडीकल टीम को वाहन से किसी प्रकार का नुकसान होने की स्थिति में सम्पूर्ण वैधानिक दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। प्रथम पक्ष इसके लिये किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा।
13. द्वितीय पक्ष द्वारा दी जा रही सेवाओं क समय–समय पर निरीक्षण करने/जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को होगा।
14. अनुबन्ध के सम्बन्ध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा सम्बन्धित जनपद के न्यायालय में होगा तथा उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।
15. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत्त सेवा संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष से इस संबंध में लिखित स्पष्टीकरण मांग सकता है एवं स्पष्टीकरण का जबाव संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को पन्द्रह दिन की सूचना देकर अनुबन्ध समाप्त करने का अधिकार होगा तथा धरोहर राशि भी जब्त की जा सकती है।
16. सर्विस टैक्स नं0 व गाडियों का टैक्सी परमिट नं0 अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने पर ही भुगतान किया जायेगा।
17. जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक दिनांक 26.04.2017 में लिये गये निर्णय में योजनाओं को सुचारू रूप से अनवरत चलाये जाने हेतु गत वर्ष की निविदाओ को जब तक नई निविदा नही डाली जाती तक पूर्व निविदा अनुबंध शर्तो के अधीन कार्य करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

स्थान :– ललितपुर
दिनांक:– ....

अपर मुख्य चिकित्साधिकारी/नोडल
एन0 एच0 एम0
ललितपुर

Chief Medical Officer
LALITPUR

हस्ताक्षर..............................
मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सदस्य सचिव,
जिला स्वास्थ्य समिति, जनपद ललितपुर।

Chief Medical Officer
LALITPUR

हस्ताक्षर..............................
श्री महेंश प्रसाद सुढेले पुत्र स्व. श्री बाबूलाल निवासी ग्राम सतवॉसा तहसील महरौनी जनपद ललितपुर।

गवाह
1. ....

2 ....

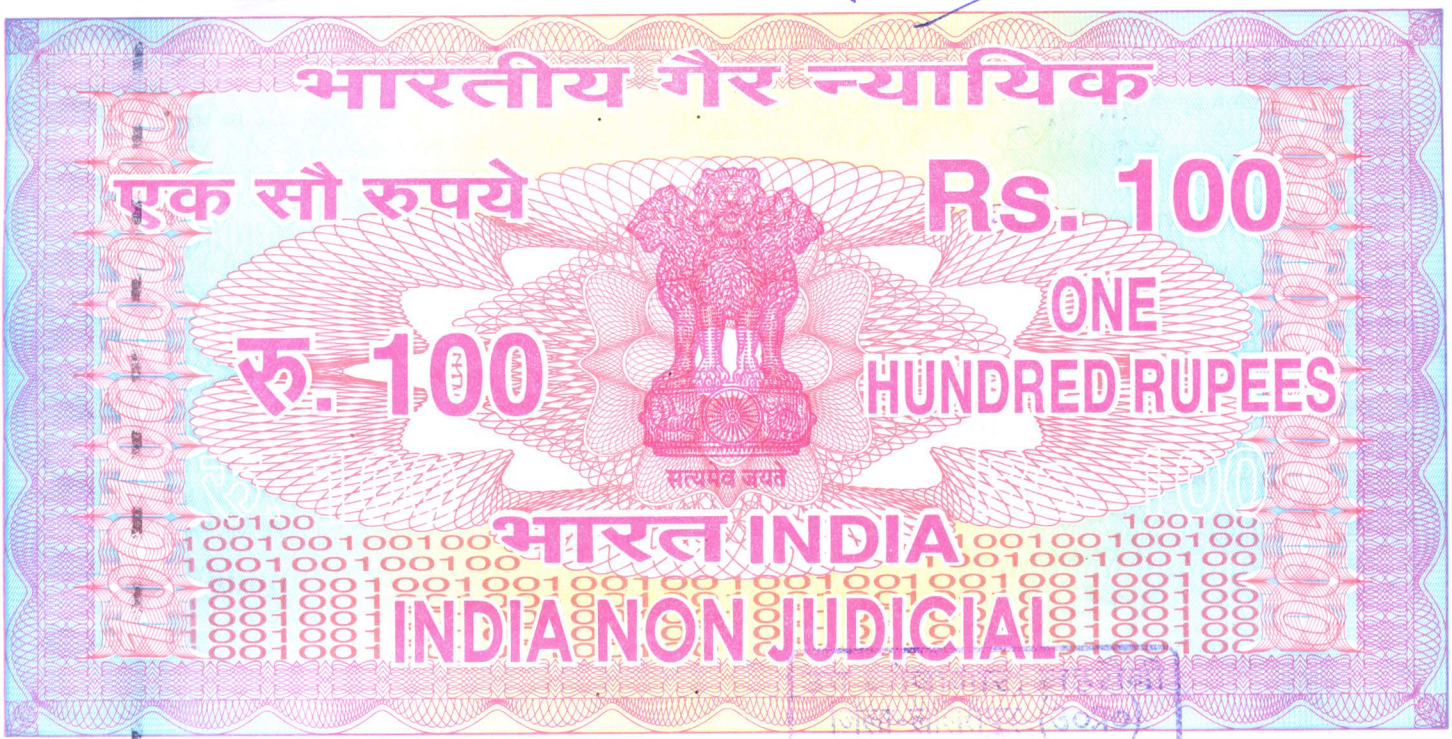

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH अनुबन्ध पत्र DA 522752

मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सदस्य सचिव–जिला स्वास्थ्य समिति, जनपद ललितपुर। प्रथम पक्ष

श्री जयकुमार राठौर,प्रोपराईटर मे0न्यू राठौर ट्रेवर्ल्स एण्ड प्लेसमेण्ट ऐजेन्सी, घुसयाना, ललितपुर जनपद ललितपुर। द्वितीय पक्ष

2 MAR 2017

यह अनुबन्ध मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सदस्य सचिव–जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा " राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यकम" के संचालन के सम्बन्ध में आज दिनांक 01.04.2016 को जनपद ललितपुर में सम्पादित किया गया था। इस अनुबन्ध की अवधि दिनांक 01.04..2016 से 31, मार्च, 2017 तक पूर्व अनुबंधो की शर्तो पर बढाई गई थी जो पुनः 01.04.2017 से ई–निविदा होने की तिथि तक पूर्व शर्तो के अनुरूप बढाई जाती है –

1. द्वितीय पक्ष जिला ललितपुर के सभी 4 विकास खण्डों में " राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यकम" हेतु वाहनों को संचालित करने के संबंध में निम्न शर्तो को पूरा करेगा :–
2. सेवाप्रदाता को प्रथम पक्ष द्वारा ब्लाक में लगाये गये वाहन हेतु अधिकतम 25 कार्यदिवस प्रतिमाह की दर से कुल अधिकतम रू0 30000 / – (तीस हजार रूपये मात्र) की धनराशि देय होगी।
3. वाहन में निम्नलिखित सुविधा अनिवार्यतः होनी चाहिए :–
   - वाहन टैक्सी परमिट होना अनिवार्य है।
   - वाहन पंजीकृत होना चाहिए।
   - वाहन अनुबन्ध की तिथि से दो वर्ष के पूर्व तक का ही पंजीवद्ध होना चाहिए, इससे अधिक पुराना न हो।
   - वाहन में प्राथमिक उपचार किट हो।
   - वाहन में पेट्रोल / डीजल द्वितीय पक्ष द्वारा भरवाया जायेगा।
   - दुर्घटना होने पर वाहन में किसी प्रकार की क्षति एवं उसकी पूर्ति की समस्त जिम्मेदारी बीमा कम्पनी व द्वितीय पक्षकार की काम्प्रेहेन्सिव इन्श्योरेन्स के तहत मिलेगी।
4. वाहन का पूर्ण बीमा, पंजीयन एवं फिटनेस प्रमाण पत्र आदि होना अनिवार्य है।
5. वाहन के संचालन एवं रख–रखाव संबंधी समस्त व्यय तथा पार्किंग शुल्क, टोल टैक्स आदि द्वितीय पक्ष द्वारा वहन किया जायेगा।
6. वाहन को 24 घंटे चालू हालत में रखने एवं वाहन की साफ–सफाई व आवश्यक रखरखाव द्वितीय पक्ष द्वारा किया जायेगा। नियमित जांच हेतु वाहन को वर्कशॉप भेजने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को अन्य वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना होगा। द्वितीय पक्ष द्वारा अनुबन्ध की शर्तो के अनुरूप सेवा प्रदान नहीं करने की स्थिति में प्रथम पक्ष को रूपये 1500.00 प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड अधिरोपित करने का अधिकार होगा।
7. द्वितीय पक्ष धरोहर राशि के रूप में जिला स्वास्थ्य समिति के नाम रू0 15000.00 की धरोहर राशि प्रतिवाहन जमा करेगा, जो किसी भी पक्ष के द्वारा 15 दिन के नोटिस देकर अनुबन्ध खत्म करने पर या अनुबन्ध अवधि पूरी होने पर प्रथम पक्ष को वापस करनी होगी।
8. द्वितीय पक्ष द्वारा वाहन पर लगे वाहन चालक का नाम, पिता का नाम, पता तथा मोबाइल नम्बर इस कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे।
9. वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी एवं वाहन चालक के पास बैद्य लायसेन्स होना अनिवार्य है। द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किये गये वाहन चालक के लिये नियोक्ता द्वितीय पक्ष ही होगा, प्रथम पक्ष पर इसका कोई विधिक दायित्व नहीं होगा। द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त नियंत्रणकर्ता अधिकारी के निर्देशों का पालन करे। द्वितीय पक्ष का यह भी दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि वाहन चालक कभी भी नशे की हालत में वाहन का संचालन नहीं करे। ऐसा पाये जाने पर जमानत की राशि जब्त कर अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष का होगा।
10. ऐजेन्सी को आवंटित इकाई पर प्रातः 09:00 बजे से रात्रि 06:00 बजे तक वाहन उपलब्ध करायेंगे। द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को भुगतान हेतु देयक निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण विवरण एवं लागबुक के साथ आगामी माह की 5 तारीख तक प्रस्तुत करने पर प्रथम पक्षकार द्वारा 10 दिवस के अंदर अर्थात 15 तारीख तक भुगतान करना सुनिश्चित किया जायेगा।

क्रमांक पेज नं0......2 पर

मे0–न्यू राठौर ट्रेवलर्स एण्ड प्लेसमेन्ट एजेन्सी जयकुमार प्रोपाइटर

उप मुख्य चिकित्साधिकारी / नोडल एन0 एच0 एम0 ललितपुर

Chief Medical Officer LALITPUR

11. वाहन की छोटी मोटी टूट फूट को तत्काल सुधारने की व्यवस्था द्वितीय पक्ष को करनी होगी। बड़ी टूट फूट भी 24 घण्टे के सुधार कराने या बैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराने का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा।
12. मेडीकल टीम को वाहन से किसी प्रकार का नुकसान होने की स्थिति में सम्पूर्ण वैधानिक दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। प्रथम पक्ष इसके लिये किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा।
13. द्वितीय पक्ष द्वारा दी जा रही सेवाओं क समय–समय पर निरीक्षण करने/जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को होगा।
14. अनुबन्ध के सम्बन्ध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा सम्बन्धित जनपद के न्यायालय में होगा तथा उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।
15. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत्त सेवा संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष से इस संबंध में लिखित स्पष्टीकरण मांग सकता है एवं स्पष्टीकरण का जबाव संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को पन्द्रह दिन की सूचना देकर अनुबन्ध समाप्त करने का अधिकार होगा तथा धरोहर राशि भी जब्त की जा सकती है।
16. सर्विस टैक्स नं0 व गाडियों का टैक्सी परमिट नं0 अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने पर ही भुगतान किया जायेगा।
17. जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक दिनांक 26.04.2017 में लिये गये निर्णय में योजनाओं को सुचारू रूप से अनवरत चलाये जाने हेतु गत वर्ष की निविदाओ को जब तक नई निविदा नही डाली जाती तक पूर्व निविदा अनुबंध शर्तो के अधीन कार्य करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

स्थान :– ललितपुर
दिनांक:– ....

अपर मुख्य चिकित्साधिकारी / नोडल
एन0 एच0 एम0
ललितपुर

हस्ताक्षर............................ Chief Medical Officer LALITPUR
मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सदस्य सचिव,
जिला स्वास्थ्य समिति, जनपद ललितपुर।

हस्ताक्षर.......... मै0 न्यू राठौर ट्रेवलर्स एण्ड प्लेसमेन्ट ऐजेन्सी
श्री जयकुमार राठौर,प्रोपराईटर मै0न्यू राठौर ट्रेवॅल्स एण्ड प्लेसमेण्ट ऐजेन्सी, घुसयाना, ललितपुर जनपद ललितपुर।
जयकुमार
प्रोपाइटर

गवाह
1. संतोषराठौर घुसयाना, ललितपुर (उ0प्र0)
2 चन्द्रशेखर
अभयदपुरा ललितपुर।

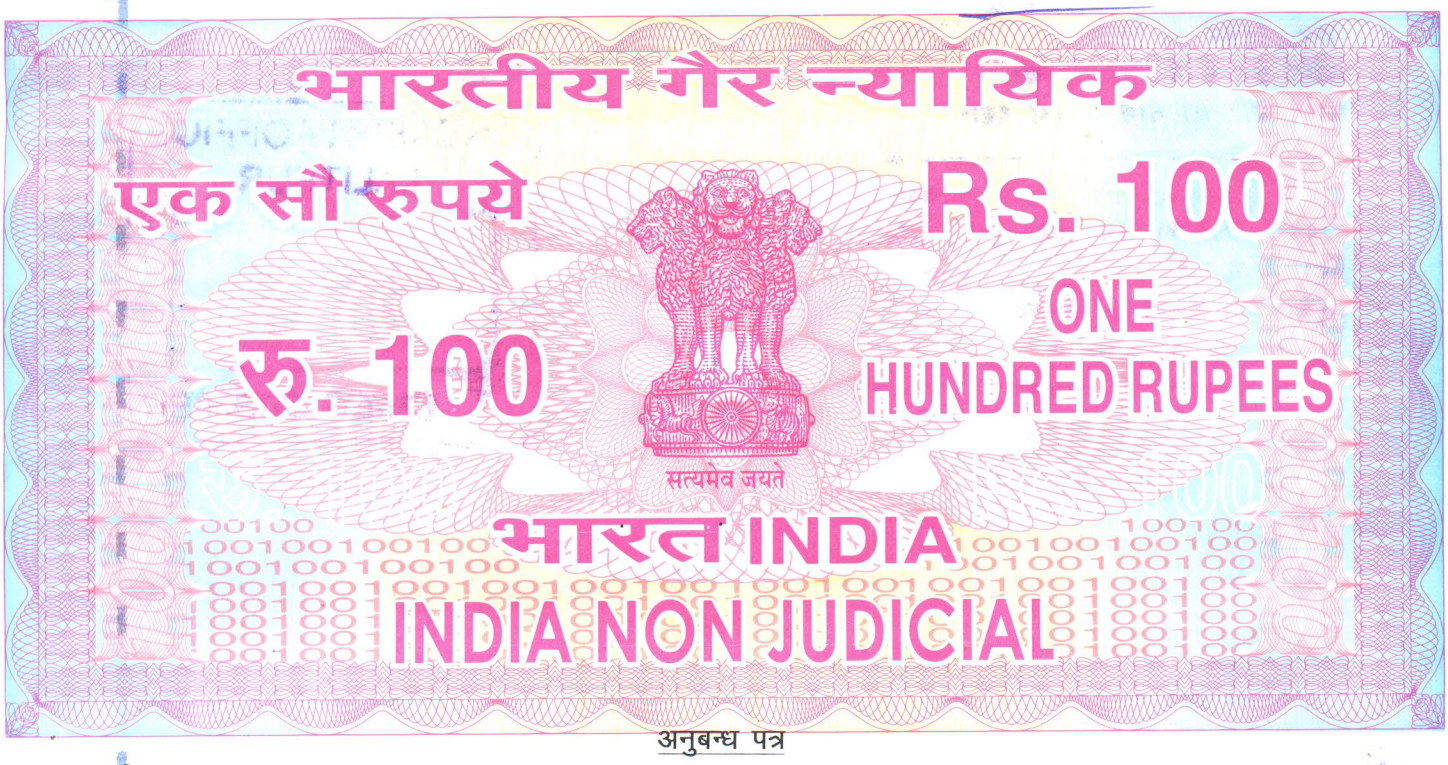

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH DN 955049

अनुबन्ध पत्र

मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सदस्य सचिव–जिला स्वास्थ्य समिति, जनपद ललितपुर। प्रथम पक्ष
मे0 रामसहाय दुवे पुत्र श्री छोटेलाल दुवे निवासी 195, गांधीनगर नई बस्ती ललितपुर। द्वितीय पक्ष

यह अनुबन्ध मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सदस्य सचिव–जिला स्वास्थ्य समिति ललितपुर प्रथम पक्ष एवं मे0 रामसहाय दुवें पुत्र श्री छोटेलाल दुवे निवासी 195, गांधीनगर नई बस्ती ललितपुर द्वितीय पक्ष के मध्य आज दिनांक 02.02.2015 निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धो के अधीन सम्पादित किया गया –

1. यह अनुबन्ध दिनांक 02.02.2015 से 31.03.2015 , 01.04.2016 से 31.03.2017 एवं शासन से प्राप्त निर्देशानुसार समयावधि के लिये अनुमन्य होगा एवं पुनः यह अनुबधं पूर्ण शर्तो के अनुरूप दिनांक 01.04.2017 से अगली निविदा होने की तिथि तक बढाया जाता है।
2. द्वितीय पक्ष का वाहन संख्या – यू0पी0 94टी0–0352 अधीक्षक, सामु0स्वा0केन्द्र मडावरा के अधीन सम्बद्ध रहेगा जो एक माह में अधिकतम 1200 कि0मी0 तक चलाया जायेगा। जिसके लिये द्वितीय पक्ष को वाहन का किराया रू0 24700/– प्रतिमाह की दर से प्रथम पक्ष द्वारा देय होगा।
3. वाहन में निम्नलिखित सुविधा अनिवार्यतः होनी चाहिए :–
   - वाहन टैक्सी परमिट होना अनिवार्य है।
   - वाहन पंजीयन , पूर्ण बीमा एवं फिटनिस प्रमाण पत्र आदि होना अनिवार्य है।
   - वाहन में प्राथमिक उपचार किट हो।
   - दुर्घटना होने पर वाहन में किसी प्रकार की क्षति एवं उसकी पूर्ति की समस्त जिम्मेदारी बीमा कम्पनी व द्वितीय पक्षकार की काम्प्रेहेन्सिव इन्श्योरेन्स के तहत मिलेगी।
4. वाहन में पेट्रोल/डीजल भरवाने, ड्राईवर व्यय, वाहन की सर्विसिंग ऑयलिंग, मरम्मत आदि की जिम्मेदारी बीमा कम्पनी व द्वितीय पक्ष की होगी।
5. वाहन का संचालन एवं रख–रखाव संबधी समस्त व्यय तथा पार्किग शुल्क, टोल टैक्स आदि द्वितीय पक्ष द्वारा वहन किया जायेगा।
6. वाहन को 24 घंटे चालू हालत में रखने एवं वाहन की साफ–सफाई व आवश्यक रखरखाव द्वितीय पक्ष द्वारा किया जायेगा। नियमित जांच हेतु वाहन को वर्कशॉप भेजने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को अन्य वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था करनी होगी समय से वैकल्पिक वाहन व्यवस्था न होने की दशा में द्वितीय पक्ष को रू0रूपये 1000.00 प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड अधिरोपित करने का अधिकार होगा।
7. वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी एवं वाहन चालक के पास बैद्य लायसेन्स होना अनिवार्य है। द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किये गये वाहन चालक के लिये नियोक्ता द्वितीय पक्ष ही होगा, प्रथम पक्ष पर इसका कोई विधिक दायित्व नहीं होगा। द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त नियंत्रणकर्ता अधिकारी के निर्देशों का पालन करे। द्वितीय पक्ष का यह भी दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि वाहन चालक कभी भी नशे की हालत में वाहन का संचालन नहीं करे। ऐसा पाये जाने पर जमानत की राशि जब्त करते हुये अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष का होगा।
8. द्वितीय पक्ष द्वारा वाहन पर लगे वाहन चालक का नाम, पिता का नाम, पता तथा मोबाईल नं0 इस कार्यालय को प्रस्तुत करेगें। यदि किन्ही कारणों से वाहन चालक बदला जाता है तो उसका पूर्ण विवरण कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा।
9. द्वितीय पक्ष को आंवटित स्वास्थ्य इकाई पर को प्रातः 09:00 बजे से रात्रि 06:00 बजे तक वाहन उपलब्ध करायेंगे। आकस्मिक स्थिति में कभी भी वाहन मांगी जा सकती है। द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को भुगतान हेतु बिल निर्धारित प्रिन्टिग फार्म जिस पर बिकीदर पंजीयन संख्या/टिन नं0/पैन नं0 तथा बैंक खाता संख्या व बैंक का नाम, आई0एफ0सी0कोड नं0 आदि अंकित हो तो दो प्रतियों में भुगतान के लिये पूर्ण विवरण एवं लॉग बुक के साथ आगामी माह की 5 तारीक तक प्रस्तुत करने पर प्रथम पक्ष द्वारा 10 दिवस के अन्दर अर्थात 15 तारीख तक भुगतान करना सुनिश्चित किया जायेगा। भुगतान बैंक खाते में ई–'ट्रांसफर के माध्यम से किया जायेगा।

क्रमांक पेज नं0......2 पर

रामसहाय दुवे

Chief Medical Officer
LALITPUR

अपर मुख्य चिकित्साधिकारी/नोडल
एन0 एच0 एम0

10. वाहन की छोटी मोटी टूट फूट को तत्काल सुधारने की व्यवस्था द्वितीय पक्ष को करनी होगी। बड़ी टूट फूट भी 24 घण्टे के सुधार कराने या बैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराने का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा।
11. द्वितीय पक्ष द्वारा दी जा रही सेवाएं के समय समय निरीक्षण करने/जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का होगा।
12. सभी विवादों का न्याय क्षेत्र जनपद ललितपुर में होगा।
13. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत्त सेवा संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष से इस संबंध में लिखित स्पष्टीकरण मांग सकता है एवं स्पष्टीकरण का जबाव संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को पन्द्रह दिन की सूचना देकर अनुबन्ध समाप्त करने का अधिकार होगा तथा धरोहर राशि भी जब्त की जा सकती है।
14. जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक दिनांक 26.04.2017 में लिये गये निर्णय में योजनाओं को सुचारू रूप से अनवरत चलाये जाने हेतु गत वर्ष की निविदाओ को जब तक नई निविदा नही डाली जाती तक पूर्व निविदा अनुबंध शर्तो के अधीन कार्य करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

स्थान :– ललितपुर
दिनांक :– 26.04.2017

mo- 9889417571

अपर मुख्य चिकित्साधिकारी/नोडल
एन० एच० एम०
ललितपुर

Chief Medical Officer
LALITPUR

हस्ताक्षर.........................
मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सदस्य सचिव,
जिला स्वास्थ्य समिति, जनपद ललितपुर।

हस्ताक्षर......................... रामसहाय दुबे
श्री रामसहाय दुवें पुत्र श्री छोटेलाल दुवें निवासी 195
गांधीनगर नईबस्ती ललितपुर। 9795769058

गवाह
1. .... सुनील दुबे साईं मन्दिर ललितपुर
2 ....

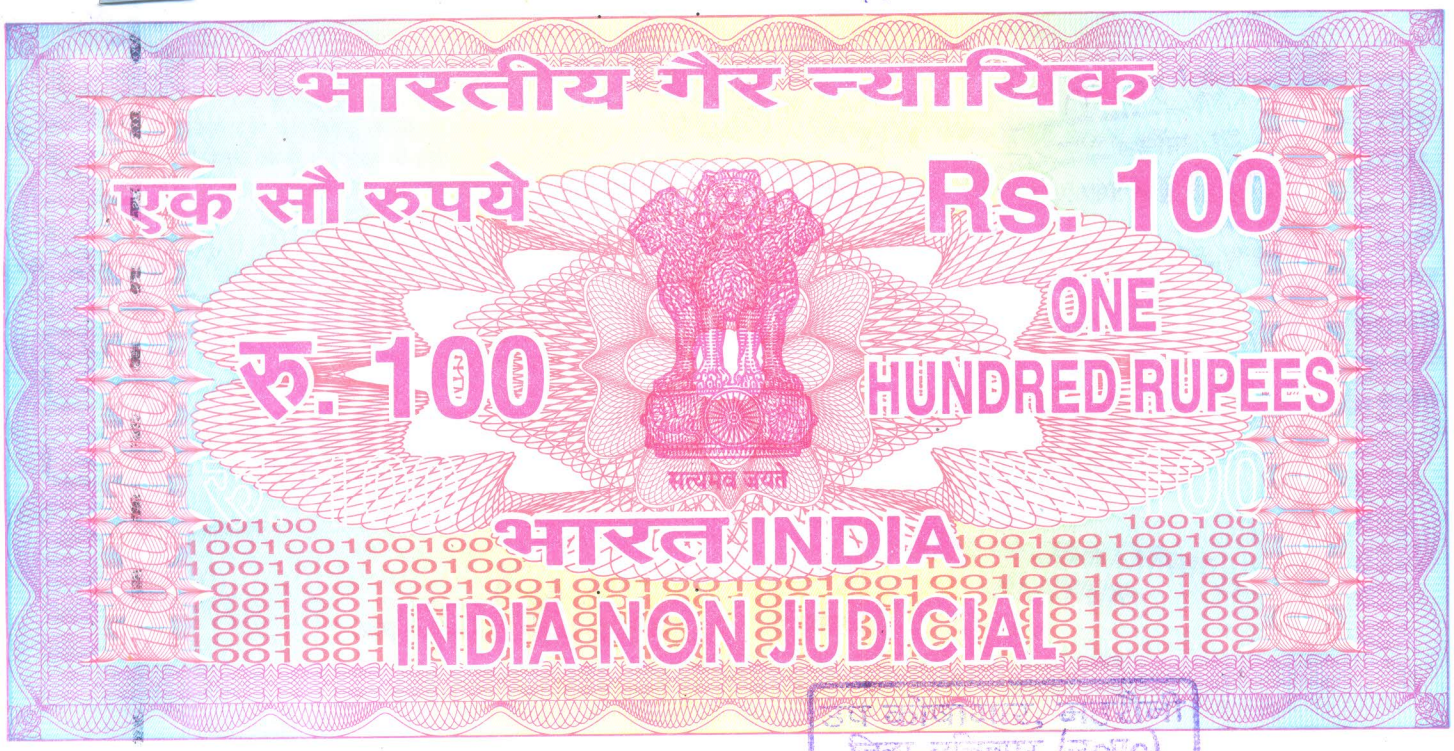

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

अनुबन्ध पत्र

DA 522751

मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सदस्य सचिव–जिला स्वास्थ्य समिति, जनपद ललितपुर। प्रथम पक्ष

श्री जयकुमार राठौर,प्रोपराईटर मे0न्यू राठौर ट्रेवर्ल्स एण्ड प्लेसमेण्ट ऐजेन्सी, घुसयाना, ललितपुर जनपद ललितपुर। द्वितीय पक्ष

यह अनुबन्ध मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सदस्य सचिव–जिला स्वास्थ्य समिति ललितपुर प्रथम पक्ष एवं मे0 न्यू राठौर टेवल्स एण्ड प्लेसमेंट एजेन्सी घुसयाना ललितपुर द्वितीय पक्ष के मध्य आज दिनांक 02.02.2015 निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सम्पादित किया गया था –, इस अनुबन्ध की अवधि दिनांक 01.04..2016 से 31 मार्च, 2017 तक पूर्व अनुबंधो की शर्तो पर बढाई गई थी जो पुनः 01.04.2017 से ई–निविदा होने की तिथि तक बढाई जाती है –

1. द्वितीय पक्ष के निम्नलिखित वाहन सम्मुख अंकित अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी सामु0/प्रा0स्वा0केन्द्र के अधीन सम्बद्ध रहेगा जो एक माह में अधिकतम 1200 कि0मी0 तक चलाया जायेगा जिसके लियें द्वितीय पक्ष को वाहन का किराया रू0 24600/– प्रतिमाह की दर से प्रथम पक्ष द्वारा देय होगा।

   UP 94 T-3451 (Tavera) जिला मुख्यालय में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, ललितपुर के अधीन

   UP94 H-9032(Bolero) प्रभारी चिकित्सा अधिकारी,प्रा0स्वा0केन्द्र बिरधा।

   UP94 -6950(Bollero) अधीक्षक, सामु0स्वा0केन्द्र बार।

   UP94H-1136(Bollero) अधीक्षक, सामु0स्वा0केन्द्र तालबेहट।

   UP94 F-1100 (Sumo)प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, प्रा0स्वा0केन्द्र जखौरा।

2. वाहन में निम्नलिखित सुविधा अनिवार्यतः होनी चाहिए :–
   - वाहन टैक्सी परमिट होना अनिवार्य है।
   - वाहन पंजीकृत होना चाहिए।
   - वाहन अनुबन्ध की तिथि से दो वर्ष के पूर्व तक का ही पंजीवद्ध होना चाहिए, इससे अधिक पुराना न हेा।
   - वाहन में प्राथमिक उपचार किट हो।
   - वाहन में पेट्रोल/डीजल द्वितीय पक्ष द्वारा भरवाया जायेगा।
   - दुर्घटना होने पर वाहन में किसी प्रकार की क्षति एवं उसकी पूर्ति की समस्त जिम्मेदारी बीमा कम्पनी व द्वितीय पक्षकार की काम्प्रेहेन्सिव इन्श्योरेन्स के तहत मिलेगी।
3. वाहन का पूर्ण बीमा, पंजीयन एवं फिटनेस प्रमाण पत्र आदि होना अनिवार्य है।
4. वाहन के संचालन एवं रख–रखाव संबंधी समस्त व्यय तथा पार्किंग शुल्क, टोल टैक्स आदि द्वितीय पक्ष द्वारा वहन किया जायेगा।
5. वाहन को 24 घंटे चालू हालत में रखने एवं वाहन की साफ–सफाई व आवश्यक रखरखाव द्वितीय पक्ष द्वारा किया जायेगा। नियमित जांच हेतु वाहन को वर्कशॉप भेजने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को अन्य वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना हेागा। द्वितीय पक्ष द्वारा अनुबन्ध की शर्तों के अनुरूप सेवा प्रदान नहीं करने की स्थिति में प्रथम पक्ष को रूपये 1500.00 प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड अधिरोपित करने का अधिकार होगा।
6. द्वितीय पक्ष धरोहर राशि के रूप में जिला स्वास्थ्य समिति के नाम रू0 15000.00 की धरोहर राशि प्रतिवाहन जमा करेगा, जो किसी भी पक्ष के द्वारा 15 दिन के नोटिस देकर अनुबन्ध खत्म करने पर या अनुबन्ध अवधि पूरी होने पर प्रथम पक्ष को वापस करनी होगी।
7. द्वितीय पक्ष द्वारा वाहन पर लगे वाहन चालक का नाम, पिता का नाम, पता तथा गोबाइल नम्बर इस कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे।
8. वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी एवं वाहन चालक के पास बैद्य लायसेन्स होना अनिवार्य है। द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किये गये वाहन चालक के लिये नियोक्ता द्वितीय पक्ष ही होगा, प्रथम पक्ष पर इसका कोई विधिक दायित्व नहीं होगा। द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त नियंत्रणकर्ता अधिकारी के निर्देशों का पालन करे। द्वितीय पक्ष का यह भी दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि वाहन चालक कभी भी नशे की हालत में वाहन का संचालन नहीं करे। ऐसा पाये जाने पर जमानत की राशि जब्त कर अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष का होगा।
9. ऐजेन्सी को आवंटित इकाई पर प्रातः 09:00 बजे से रात्रि 06:00 बजे तक वाहन उपलब्ध करायेंगे। द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को भुगतान हेतु देयक निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण विवरण एवं लागबुक के साथ आगामी माह की 5 तारीख तक प्रस्तुत करने पर प्रथम पक्षकार द्वारा 10 दिवस के अंदर अर्थात 15 तारीख तक भुगतान करना सुनिश्चित किया जायेगा।

क्रमांक पेज नं0.....2 पर

मे0–न्यू राठौर ट्रेवल्स एण्ड प्लेसमेन्ट एजेन्सी
जय कुमार
प्रोप्राइटर

ऊपर मुख्य चिकित्साधिकारी/नोडल एन0 एच0 एम0 ललितपुर

Chief Medical Officer
LALITPUR

10. वाहन की छोटी मोटी टूट फूट को तत्काल सुधारने की व्यवस्था द्वितीय पक्ष को करनी होगी। बड़ी टूट फूट भी 24 घण्टे के सुधार कराने या बैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराने का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा।
11. मेडीकल टीम को वाहन से किसी प्रकार का नुकसान होने की स्थिति में सम्पूर्ण वैधानिक दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। प्रथम पक्ष इसके लिये किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा।
12. द्वितीय पक्ष द्वारा दी जा रही सेवाओं क समय–समय पर निरीक्षण करने/जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को होगा।
13. अनुबन्ध के सम्बन्ध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा सम्बन्धित जनपद के न्यायालय में होगा तथा उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।
14. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत्त सेवा संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष से इस संबंध में लिखित स्पष्टीकरण मांग सकता है एवं स्पष्टीकरण का जबाव संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को पन्द्रह दिन की सूचना देकर अनुबन्ध समाप्त करने का अधिकार होगा तथा धरोहर राशि भी जब्त की जा सकती है।
15. सर्विस टैक्स नं0 व गाडियों का टैक्सी परमिट नं0 अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने पर ही भुगतान किया जायेगा।
16. जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक दिनांक 26.04.2017 में लिये गये निर्णय में योजनाओं को सुचारू रूप से अनवरत चलाये जाने हेतु गत वर्ष की निविदाओ को जब तक नई निविदा नही डाली जाती तक पूर्व निविदा अनुबंध शर्तो के अधीन कार्य करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

स्थान :– ललितपुर
दिनांक:–

Chief Medical Officer
LALITPUR

अपर मुख्य चिकित्साधिकारी/नोडल
एन0 एच0 एम0
ललितपुर

हस्ताक्षर............................
मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सदस्य सचिव,
जिला स्वास्थ्य समिति, जनपद ललितपुर।

हस्ताक्षर............................
मैं0–न्यू राठौर ट्रेवलर्स एण्ड
श्री जयकुमार राठौर प्रोपराईटर मैं0न्यू राठौर ट्रेवलर्स एण्ड प्लेसमेण्ट ऐजेन्सी, घुसयाना, ललितपुर जनपद ललितपुर।
प्रोपराइटर

गवाह
1. .... सन्तोष राठौर, घुसयाना, ललितपुर
2 .... चन्द्रशेखर। आजादपुरा ललितपुर।

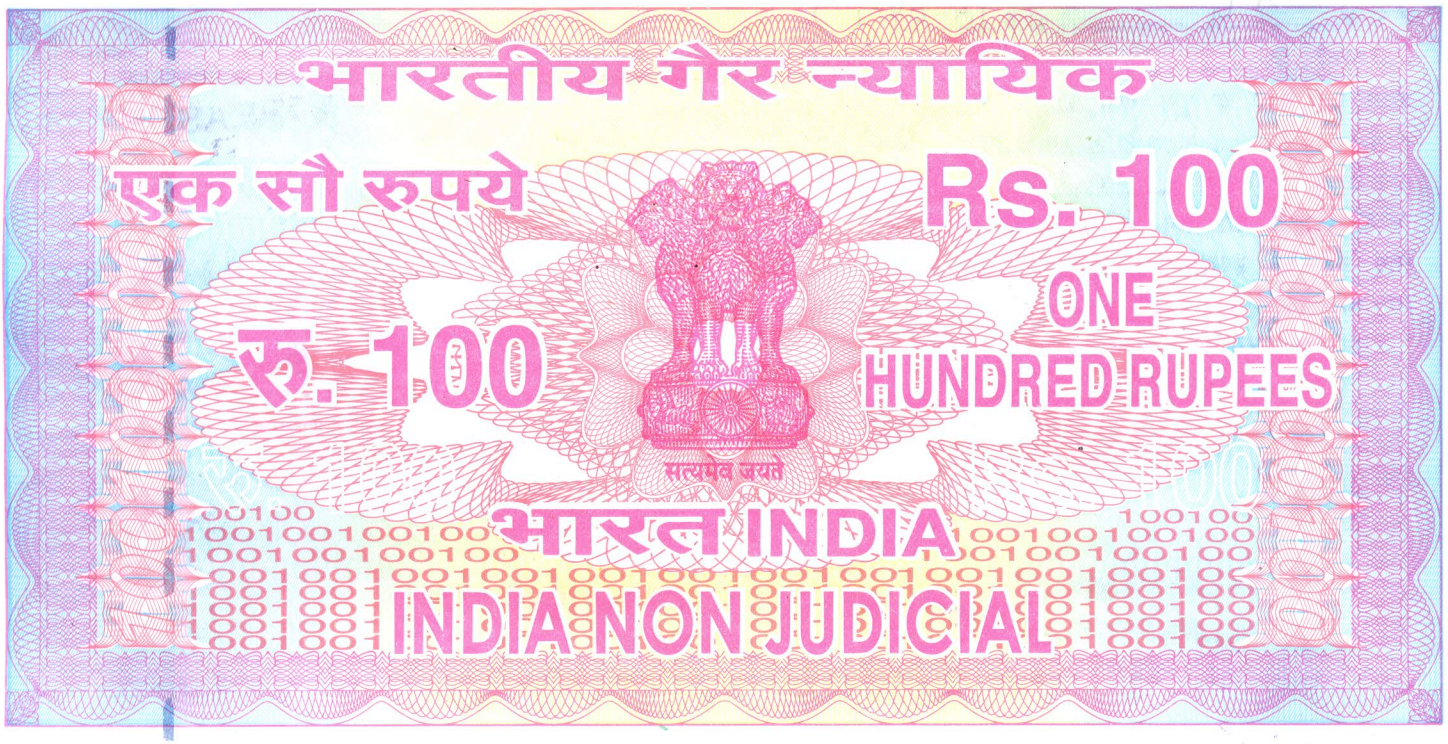

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DA 529038

अनुबन्ध पत्र

मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सदस्य सचिव–जिला स्वास्थ्य समिति, जनपद ललितपुर। — प्रथम पक्ष

मेसर्स विनोद कुमार पुत्र स्व0 श्री लखनलाल निवासी ग्राम व पोस्ट पठा तहसील महरौनी जिला ललितपुर। — द्वितीय पक्ष

यह अनुबन्ध मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सदस्य सचिव–जिला स्वास्थ्य समिति ललितपुर प्रथम पक्ष एवं मेंसर्स विनोद कुमार पुत्र स्व0 श्री लखनलाल निवासी ग्राम व पोस्ट पठा तहसील महरौनी जिला ललितपुर द्वितीय पक्ष के मध्य आज दिनांक 02.02.2015 निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सम्पादित किया गया था इस अनुबन्ध की अवधि दिनांक 01.04.2016 से 31 मार्च, 2017 तक पूर्व अनुबंधो की शर्तो पर बढाई गई थी जो **पुनः 01.04.2017 से ई–निविदा होने की तिथि तक बढाई जाती है –**

1. द्वितीय पक्ष का वाहन संख्या–यू0पी0–94 एल–5739 बुलेरो अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र महरौनी के अधीन सम्बद्ध रहेगा जो एक माह में अधिकतम 1200 कि0मी0 तक चलाया जायेगा जिसके लियें द्वितीय पक्ष को वाहन का किराया रू0 24500/– प्रतिमाह की दर से प्रथम पक्ष द्वारा देय होगा।
2. वाहन में निम्नलिखित सुविधा अनिवार्यतः होनी चाहिए :–
   - वाहन टैक्सी परमिट होना अनिवार्य है।
   - वाहन पंजीकृत होना चाहिए।
   - वाहन अनुबन्ध की तिथि से दो वर्ष के पूर्व तक का ही पंजीवद्ध होना चाहिए, इससे अधिक पुराना न हेा।
   - वाहन में प्राथमिक उपचार किट हो।
   - वाहन में पेट्रोल/डीजल द्वितीय पक्ष द्वारा भरवाया जायेगा।
   - दुर्घटना होने पर वाहन में किसी प्रकार की क्षति एवं उसकी पूर्ति की समस्त जिम्मेदारी बीमा कम्पनी व द्वितीय पक्षकार की काम्प्रेहेन्सिव इन्श्योरेन्स के तहत मिलेगी।
3. वाहन का पूर्ण बीमा, पंजीयन एवं फिटनेस प्रमाण पत्र आदि होना अनिवार्य है।
4. वाहन के संचालन एवं रख–रखाव संबंधी समस्त व्यय तथा पार्किंग शुल्क, टोल टैक्स आदि द्वितीय पक्ष द्वारा वहन किया जायेगा।
5. वाहन को 24 घंटे चालू हालत में रखने एवं वाहन की साफ–सफाई व आवश्यक रखरखाव द्वितीय पक्ष द्वारा किया जायेगा। नियमित जांच हेतु वाहन को वर्कशॉप भेजने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को अन्य वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना हेागा। द्वितीय पक्ष द्वारा अनुबन्ध की शर्तो के अनुरूप सेवा प्रदान नहीं करने की स्थिति में प्रथम पक्ष को रूपये 1500.00 प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड अधिरोपित करने का अधिकार होगा।
6. द्वितीय पक्ष धरोहर राशि के रूप में जिला स्वास्थ्य समिति के नाम रू0 15000.00 की धरोहर राशि प्रतिवाहन जमा करेगा, जो किसी भी पक्ष के द्वारा 15 दिन के नोटिस देकर अनुबन्ध खत्म करने पर या अनुबन्ध अवधि पूरी होने पर प्रथम पक्ष को वापस करनी होगी।
7. द्वितीय पक्ष द्वारा वाहन पर लगे वाहन चालक का नाम, पिता का नाम, पता तथा मोबाइल नम्बर इस कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे।
8. वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी एवं वाहन चालक के पास वैद्य लायसेन्स होना अनिवार्य है। द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किये गये वाहन चालक के लिये नियोक्ता द्वितीय पक्ष ही होगा, प्रथम पक्ष पर इसका कोई विधिक दायित्व नहीं होगा। द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त नियंत्रणकर्ता अधिकारी के निर्देशों का पालन करे। द्वितीय पक्ष का यह भी दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि वाहन चालक कभी भी नशे की हालत में वाहन का संचालन नहीं करे। ऐसा पाये जाने पर जमानत की राशि जब्त कर अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष का होगा।
9. ऐजेन्सी को आवंटित इकाई पर प्रातः 09:00 बजे से रात्रि 06:00 बजे तक वाहन उपलब्ध करायेंगे। द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को भुगतान हेतु देयक निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण विवरण एवं लागबुक के साथ आगामी माह की 5 तारीख तक प्रस्तुत करने पर प्रथम पक्षकार द्वारा 10 दिवस के अंदर अर्थात 15 तारीख तक भुगतान करना सुनिश्चित किया जायेगा।

क्रमांक पेज नं0.....2 पर

अपर मुख्य चिकित्साधिकारी/नोडल
एन0 एच0 एम0
ललितपुर

Chief Medical Officer
LALITPUR

10. वाहन की छोटी मोटी टूट फूट को तत्काल सुधारने की व्यवस्था द्वितीय पक्ष को करनी होगी। बड़ी टूट फूट भी 24 घण्टे के सुधार कराने या बैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराने का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा।
11. मेडीकल टीम को वाहन से किसी प्रकार का नुकसान होने की स्थिति में सम्पूर्ण वैधानिक दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। प्रथम पक्ष इसके लिये किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा।
12. द्वितीय पक्ष द्वारा दी जा रही सेवाओं क समय–समय पर निरीक्षण करने/जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को होगा।
13. अनुबन्ध के सम्बन्ध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा सम्बन्धित जनपद के न्यायालय में होगा तथा उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।
14. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत्त सेवा संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष से इस संबंध में लिखित स्पष्टीकरण मांग सकता है एवं स्पष्टीकरण का जबाव संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को पन्द्रह दिन की सूचना देकर अनुबन्ध समाप्त करने का अधिकार होगा तथा धरोहर राशि भी जब्त की जा सकती है।
15. सर्विस टैक्स नं0 व गाडियों का टैक्सी परमिट नं0 अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने पर ही भुगतान किया जायेगा।
16. जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक दिनांक 26.04.2017 में लिये गये निर्णय में योजनाओं को सुचारू रूप से अनवरत चलाये जाने हेतु गत वर्ष की निविदाओ को जब तक नई निविदा नही डाली जाती तक पूर्व निविदा अनुबंध शर्तो के अधीन कार्य करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

स्थान :– ललितपुर
दिनांकः–

अपर मुख्य चिकित्साधिकारी/नोडल
एन0 एच0 एम0
ललितपुर

हस्ताक्षर.....Chief Medical Officer
मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सदस्य सचिव,
जिला स्वास्थ्य समिति, जनपद ललितपुर।

हस्ताक्षर.....
मेसर्स विनोद कुमार पुत्र स्व0 श्री लखनलाल निवासी ग्राम व पोस्ट पठा तहसील महरौनी जिला ललितपुर।

गवाह
1. .....

2 .....